पूर्वी सिंहभूम जिला में जनजातीय महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति : एक भौगोलिक अध्ययन

भूगोल में पीएच०डी० की उपाधि हेतू निबंधन के लिए शोध प्रबंधन की रूपेरखा

(समाज विज्ञान संकाय : भूगोल)

स्नातकोत्तर भूगोल विभाग, राँची

शोध निर्देशक

डॉ. शिव कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर
भूगोल विभाग,
सतं जेवियर्स कॉलेज, राँची
मो० : 9835757677
shivkr77@gmail.com

शोधकर्ता

प्रियंका मंडल
(एम.ए. नेट, भूगोल)
मो० : 8709340981
priyankamandal283@gmail.com

शोध शीर्षक :

पूर्वी सिंहभूम जिला में जनजातीय महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति : एक भौगोलिक अध्ययन

1. **शोध शीर्षक का संक्षिप्त परिचय :**

आदिवासी महिलाओं की भूमिका न केवल आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण है, बल्कि गैर–आर्थिक गतिविधियों में उनकी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। परिवार चूल्हा और घर का निर्माण और निरंतरता महिलाओं का अधिकार क्षेत्र है। पत्नियों, माताओं और आयोजकों के रूप में महिलाओं की भूमिका और सामाजिक जीवन के अन्य आयामों की बुनियादी नींव के रूप में अत्यधिक महत्व है। जनजातीय समाज के बीच, चूंकि पुरुष देहाती कर्तव्यों के लिए बाहर हैं, कम से कम जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बच्चों का समाजीकरण स्वतः ही माँ का व्यवसाय बन जाता है। जनजातीय परिवार बच्चों के साथ मातृ–केंद्रितता और महिलाओं के हस्तक्षेप के क्षेत्र में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को मानता है।

प्रसव, अंत्येष्टि, मेलों और त्योहारों में जनजातीय महिलाओं की भूमिका ग्रामीण जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विकास की बदलती प्रवृतियाँ और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के कारण लोगों को अपनी जमीने छोड़कर अन्य विकसित क्षेत्र में रोजगार के लिए प्रवास करना पड़ रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा भी आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। अनुकूलता की कमी, अवैज्ञानिक किसानी पद्धतियों का अनुसरण और बरोजगारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के चलते जनजातीय महिलाओं की खाद्य संसाधनों तक पहुंच में असमर्थता है।

जनजातीय महिलाएं बहुत मेहनत करती हैं, कुछ मामलों में तो पुरुषों से भी ज्यादा। अध्ययन क्षेत्र में सभी आदिवासी समाज पितृसत्तात्मक हैं जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व है। हालाँकि, अपनी दुनिया में महिलाओं को स्वतंत्रता और आत्म–अभिव्यक्ति है। विकास कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं लेकिन आदिवासी महिलाएं अपने पहनावे, भाषा, औजारों और संसाधनों में पारंपरिक बनी हुई है क्योंकि वे नकदी फसलों के बजाय खाद्य फसलें उगाती हैं। आधुनिकीकरण परिवर्तन ला रहा है, जो पुरुषों और महिलाओं को अलग तरह से प्रभावित करता है।

2. **विषय की अद्यतन स्थिति :**

आदिवासी क्षेत्रों में लिखित अभिलेखों के अभाव में महिलाएं पारंपरिक सूचनाओं की वाहक होती हैं। वे इस तरह के ज्ञान के संरक्षण और प्रसार में महत्वपूर्ण अभिनेता हैं। वे न केवल सक्षम खाद्य उत्पादक और गृह निर्माता हैं बल्कि समृद्ध स्थानीय मौखिक परंपराओं के ट्रासंमीटर भी हैं जनजातीय महिलाएं, किसी भी अन्य सामाजिक समूह की तरह, कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं। आदिवासी महिलाएं, सभी सामाजिक समूहों में महिलाओं के रूप में, पुरुषों की तुलना में अधिक निरक्षर हैं।

अन्य सामाजिक समूहों की तरह, आदिवासी महिलाएं प्रजनन स्वास्थ्य से सबंधित समस्याओं को साझा करती हैं। जब प्राथमिक और और माध्यमिक निर्वाह गतिविधियों की गणना की जाती है, तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक काम करती हैं। विभिन्न समाजों में महिलाओं की स्थिति भिन्न–भिन्न होती है। महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए वैचारिक ढांचे में सात भूमिकाएँ शामिल हैं जो महिलाएँ जीवन और कार्य में निभाती हैं –माता–पिता, वैवाहिक, घरेलू, रिश्तेदार, व्यावसायिक, समुदाय और एक व्यक्ति के रूप में।

बोसरप ई०, (1970) बोसरप की पुस्तक वीमेंस रोल इन इकोनामिक डेवलपमेन्ट अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास और महिलाओं के संघर्षों के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना प्रस्तुत करती है, जो महिलाओं के सबल स्वावलंबन और विकास को प्रोत्साहित करती है। इससे यह पता चलता है कि महिलाएँ अर्थव्यवस्था में न केवल सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं, बल्कि उन्हें आर्थिक सहयोग कर सकती है।

पाला, अकोला ओ०, (1977) महिला विकास एक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है। जिसका उद्देश्य महिलाओं की स्थिति को समृद्ध, स्वावलंबन और समाज में समानता के साथ सुधारना होता है। यह महिलाओं को उनके सभी आवश्यकताओं को पूरा करने, सामाजिक संरचना में साकारात्मक रूप से योगदान करने और अपने परिवार और समुदाय के साथ सही रिश्ते निर्माण करने में मदद करता है। महिला के विकास में महिला समृद्धि और स्वावलंबन के माध्यम से एक समृद्ध और समान समाज की रचना करना, महिलाओं को संरक्षित और सम्मानित बनाना, उन्हें सक्रिय साझेदार बनाना और उन्हें विकास के सभी क्षेत्र में समान अवसरों के साथ सम्मान दिलाना होता है।

लेवीटास आर०, (1978) इन्कलूशिव सोसाइटी : सोशल एक्सक्लूजन एण्ड न्यू लेबर पुस्तक में सामाजिक समावेशन के माध्यम से समाज में छिपी असमानता और एकाधिकार वाले तत्वों का विश्लेषण किया गया है। समाज में सबके एक समान अधिकार के लिए समाज को समावेशी बनाने की आवश्यकता है जो समाज के सतत् विकास को सुनिश्चित करेगी। गरीबी को दूर कर, सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने से समाज में एकता की स्थिति उत्पन्न होती है।

दुर्खिम ई०, (1993) समाज में श्रम विभाजन पुस्तक में दुर्खिम ने समाज में काम के विभाजन के सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं की विवेचना की है। उन्होंने समाज में लोगों के भूमिका और संरचना के आधार पर काम का विभाजन करने और समाज के विकास में इसके प्रभाव का विश्लेषण किया है। इससे समाज में काम के विभाजन और संरचना के विषय में विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

लवानिया एवं जैन, (2007) – जैन तथा लवानिया ने अपनी पुस्तक 'भारत में जनजातियों का समाजशास्त्र' में जनजाति समाज पर विस्तृत प्रकाश डाला है। इस पुस्तक में इन्होने जनजातियों के सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन पर प्रकाश डाला है। जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति की मातृसत्तात्मक समाज के आधार पर प्रस्तुत किया है। जनजातीय समाज के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन को प्रस्तुत करते हुए उनके परिवार एवं विवाह संस्कार पर विस्तृत प्रकाश डाला है। जनजातीय समाज में प्रचलित नातेदारी व्यवस्था, गोत्र की परम्परा आदि का सूक्ष्म अध्ययन किया गया है। जनजातीय समाज में युवागृह के महत्व के साथ ही जनजाति की समस्याओं एवं जनजाति के चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

हेमन्त (2009) – झारखण्ड का धन अवश्य झारखण्ड के खनिज में है लेकिन झारखण्ड के लोग गाँव में बसते है। झारखण्ड में 93% आदिवासी ग्रामीण है। झारखण्ड में औद्योगिकरण की शुरुआत 1907 ई. में Tata Steel की स्थापना से हुई है। अत्यतं प्राचीन काल में झारखण्ड की आबादी नगण्य थी। जीवन आदिम था। कंद मूल तथा शिकार कर जीवन यापन करते थे। पशु पालन सहायक पेशा था। दलगत जीवन के कारण स्थूल सामाजिकता का विकास हो चुका था।

झारखण्ड कई क्षेत्रों में विभक्त है। प्रत्यके गाँव का अपना चिन्ह होता है, जिन्हें टोटम कहा जाता है। यह सामान्यत पशु पक्षी या पौधों के नाम पर होती है।

सुलभ स्वच्छ भारत, (2018) – आदिवासी महिला सामाजिक तथा आर्थिक रुप से पिछड़ी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को स्वीकार करने के बाद भी आदिवासी महिला सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक दृष्टिकोण से समाज व्यवस्था में उपेक्षित रही है। अपना स्तर तथा जीवन स्तर सुधारने के लिए आर्थिक घटक महत्वपूर्ण रहता है। इस पर ही व्यक्ति की जरूरतें पूरी होती रहती है। परिवार की आय बेहतरीन है तो वह व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्न, वस्त्र, तथा निवास को पूरा कर सकता है, परंतु आधे से अधिक आदिवासी महिलाओं का परिवार गरीबी रेखा के नीचे दिखाई देता है। भारत में केन्द्र से घटक राज्य तथा आर्थिक विकास के लिए विभिन्न नीति व योजनाएँ रहने के बाद भी उनका अमल सही ढंग से होता नहीं दिखाई देता है। अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास की गति को तेज करने और उस पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को विभाजित कर अप्रैल 2001 में जनजातीय मामले के मत्रांलय के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की स्थापना की गई है। इसके अलावा बहुउद्देशीय सहकारी समिति अधिनियम, 2007 के अधिनियमित होने के बाद ट्राइफेड को इस अधिनियम में पंजीकृत कर इसे राष्ट्रीय सरकारी समिति के रुप में अधिनियम की दूसरी अनुसूची में अधिसूचित किया गया है।

3. अनुसंधान की जाने वाली समस्या :

- संसाधनों के अभाव में जनजातीय महिलाओं का प्रवास एवं प्रवास के कारण उत्पन्न समस्या।
- जनजातीय महिलाओं पर घरेलू कार्य के साथ–साथ बाहर के कार्यों की भी जिम्मेवारी।
- कुपोषण से ग्रसित जनजातीय महिलाएं।
- रोजगार के अभाव में जनजातीय महिलाओं द्वारा मद्यपान का सेवन एवं विक्रय।
- जनजातीय महिलाओं में जादू टोने एवं डायन प्रथा पर विश्वास।

4. अनुसंधान प्रेरणा के उद्देश्य :

- इस शोध अध्ययन के माध्यम से पूर्वी सिंहभूम जिला में जनजातीय महिलाओं का प्रवास के कारणों का अध्ययन।

- इस शोध अध्ययन के माध्यम से जनजातीय महिलाओं द्वारा किए जा रहे घरेलू कार्य एवं बाहर के कार्यों का अध्ययन करना।
- जनजातीय महिलाओं में कुपोषण के स्तर का अध्ययन।
- मद्यपान विक्रय के कारणों का अध्ययन।
- जनजातीय महिलाओं में जादू टोना एवं डायन प्रथा जैसी कुरीतियों पर विश्वास करने के कारणों का अध्ययन।

5. **शोध परिकल्पना :**

- आजीविका प्रतिरूप में परिवर्तन के कारण जनजातीय महिलाओं का प्रवास।
- जनजातीय महिलाओं द्वारा घरेलू कार्यों के साथ–साथ आय अर्जन हेतु कार्य किया जा रहा है।
- पर्याप्त पोषण युक्त भोजन के अभाव से जनजातीय महिलाएं कुपोषित हो रही है।
- पूंजी के अभाव में जनजातीय महिलाओं द्वारा मद्यपान का विक्रय।
- जनजातीय महिलाएं जादू टोना पर अति विश्वास करती है।

6. **अनुसंधान की रूपरेखा तथा पद्धति :**

प्रस्तावित शोध अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होगा। प्राथमिक स्त्रोतों के माध्यम से आकड़े प्राप्त किये जायेगें जिसमें साक्षात्कार विधि, समूह साक्षात्कार विधि, अवलोकन विधि, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाएगा। द्वितीयक आँकड़ों के लिए पत्र–पत्रिकाएँ, इन्टरनेट, अखबार एवं किताबों, सरकारी कार्यलयों के आंकड़ो का सहायता लिया जाएगा। इसमें ऐतिहासिक वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं पुस्तकालय विधि का अनुसंधान हेतु प्रयोग किया जायेगा। इस शोध अध्ययन के लिए मुख्यतः 200 जनजातीय महिला उत्तरदाताओं से इस शोध विषय पर आँकड़े एकत्र किये जाएँगे।

(a) शोध क्षेत्र :

पूर्वी सिंहभूम जिला झारखण्ड के दक्षिण पूर्वी कोने पर स्थित है। पूर्वी सिंहभूम जिले के उत्तर में सरायकेला–खरसाँवा, पश्चिम में उड़ीसा, दक्षिण में उड़ीसा एवं पं0 बंगाल एवं पूर्व में प0 बंगाल स्थित है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र 3533 वर्ग किलोमीटर है जो पूरे राज्य का लगभग 2.03 प्रतिशत है।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस जिले को दो डिवीजन धालभूम और घाटशिला में विभाजित किया गया है। जिले में ग्यारह ब्लॉक है जिनमें गोलमुरी कम जुगसलाई (जमशेदपुर), पोटका, पटमदा और बोड़ाम धालभूम सब डिवीजन में और घाटशिला सब डिविजन में घाटशिला, मुसाबनी, डुमरिया, बहरागोड़ा, धालभूमगढ़, चाकुलिया और गुड़ाबांधा शामिल है।

पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल जनसंख्या 22,93,919 है जिसमें पुरूषों की संख्या 1,76,902 एवं महिलाओं की संख्या 1,17,017 है। पूर्वी सिंहभूम जिले में शहरी जनसंख्या 12,74,591 है जबकि ग्रामीण जनसंख्या 10,19,328 है। 2011 के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल परिवार 2,58,771 थे।

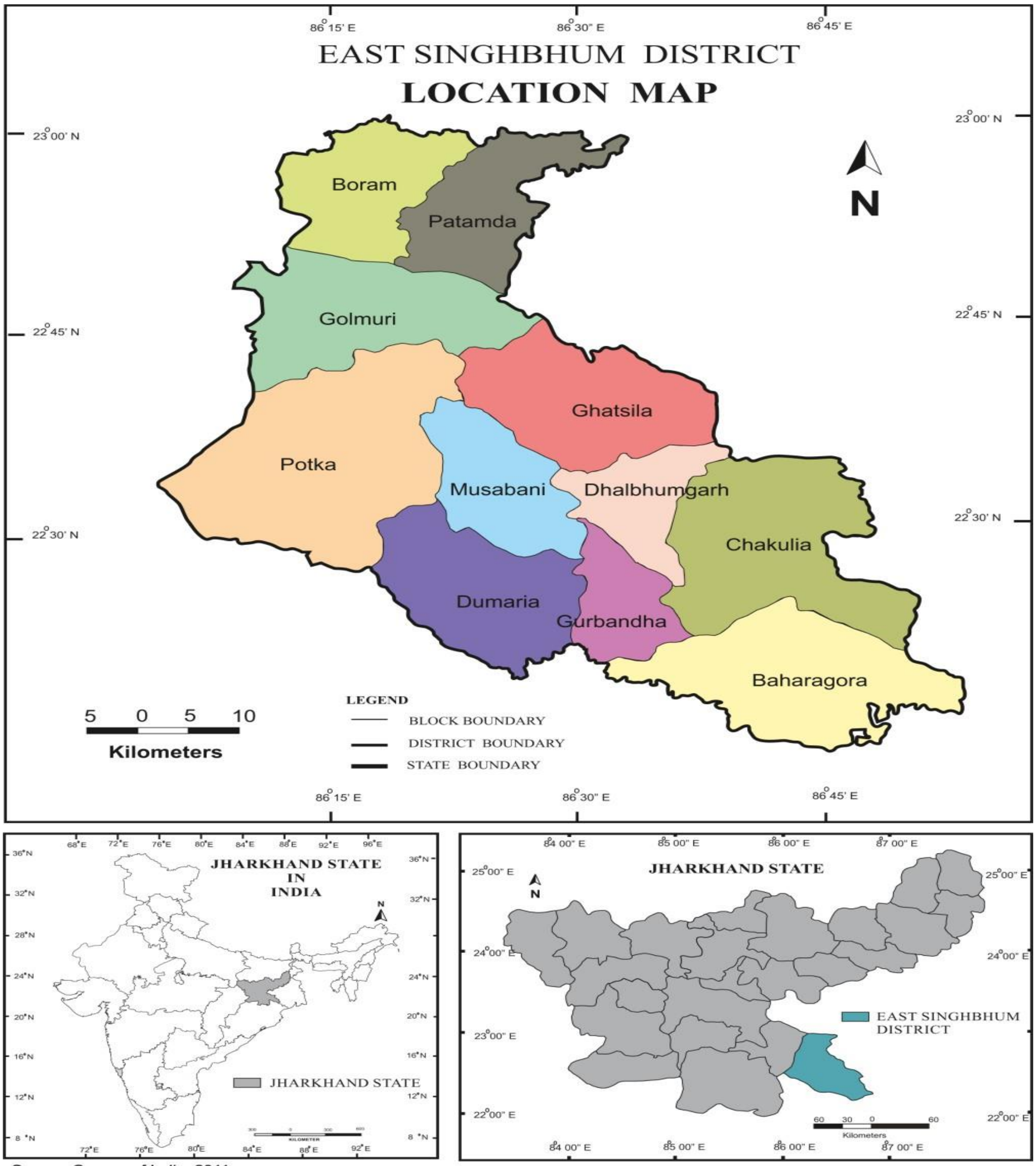

Source: Census of India, 2011

(b) सूचनाओं का चयन :

इस शोध कार्य के लिये पूर्वी सिंहभूम जिले में जनजातीय महिलाओं का चयन किया जायेगा।

(c) प्रतिदर्श का आँकड़ा :

इस शोध कार्य के लिए पोटका और डुमुरिया प्रखण्ड के 200 जनजातीय महिलाओं से सूचना को एकत्रित किया जाएगा।

7. संभावित अध्यायीकरण :

परिचय

अध्याय 1 : पूर्वी सिंहभूम जिला का भौगोलिक पृष्ठभूमि।

अध्याय 2 : जनजातीय महिलाओं का प्रवास के कारण व समस्याएं।

अध्याय 3 : जनजातीय महिलाओं पर दोहरा कार्यभार।

अध्याय 4 : कुपोषण के कारण समस्या व समाधान।

अध्याय 5 : जनजातीय महिलाएं एवं ऋण का कुचक्र।

अध्याय 6 : अंधविश्वास का प्रभाव।

अध्याय 7 : केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा संचालित जनजातीय महिलाओं के कल्याण से संबंधित योजनाएँ एवं उसका प्रभाव।

निष्कर्ष एवं सुझाव

8. आंकड़ों के स्त्रोत तथा आंकड़ा संग्रह में उपयोग किए जाने वाले उपकरणः

प्रस्तुत शोध मुख्यतः प्राथमिक स्रोत से प्राप्त आंकड़ो पर आधारित होगा। अध्ययन की आवश्यकता अनुसार द्वितीयक स्रोत से भी क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा आंकड़ो का संग्रहण किया जायेगा।

द्वितीयक आंकड़ों के प्राप्ति के निम्नवत स्रोत होंगे :–

i) ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड

ii) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

iii) झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन समाज

iv) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर

v) झारखण्ड राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राँची।

vi) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे।

आकंड़ो की प्राप्ति हेतु निम्न उपकरण :

इस कार्य के लिए SPSS, GPS, GIS का प्रयोग किया जाऐगा।

9. **आकंड़ा विश्लेषण :** जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ो का विश्लेषण ग्राफीय रेखाचित्र विधि, पाई चार्ट, समूह विश्लेषण, निर्भरता अनुपात, स्त्री–पुरूष अनुपात, घनत्व, वृद्धि दर, आर्थिक संरचना आदि सामाजिक एंव आर्थिक विश्लेषण की विधियां है जिनका उपयोग प्रस्तुत शोध में आकंड़ो के विश्लेषण हेतु प्रयोग किया जायेगा।

सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए प्रमुख घटक के रूप में जीवन की गुणवत्ता विश्लेषण के साथ–साथ अन्य सांख्यिकी विधियों का उपयोग कर विश्लेषण किया जायेगा।

10. **अध्ययन का महत्व :**

यह झारखण्ड राज्य के अंतर्गत प्रथम शोध है जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिले में जनजातीय महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जायेगा।

जनजातीय समाज की उन्नत सामाजिक व्यवस्था एवं आर्थिक सुदृढ़ता के लिए जनजातीय महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। जनजातीय महिलाओं के आजीविका प्रतिरूप में परिवर्तन कर महिलाओं के आर्थिक

रूप से सशक्त बनाने में प्रयासरत है इसका रेखाकंन किया जायेगा। इस शोध में जनजातीय महिलाओं की आर्थिक सामाजिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है इसका आकलन हो सकेगा। इस शोध अध्ययन के माध्यम से प्राप्त आँकड़ों का प्रयोग सरकार जनजातीय महिलाओं के लिए योजना निर्माण में कर सकती है।

11. वर्तमान समस्याओं के संदर्भ में शोध की प्रासंगिकता एवं समाज को आवश्यकता :

भारत जनजाति में बसता है, यहाँ की जनजातीय महिलाओं को घरों के कामों में ही उलझ कर रह जाना पड़ता है, जिसके चलते महिलाओं का सकल घरेलु उत्पाद में योगदान बहुत कम हो पाता है। भारत कामगार महिलाओं की श्रेणी में 131 देशों में 120 वीं स्थान में आता है।

जनजातीय महिलाओं को समूह में जोड़कर प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसके चलते महिलाओं में स्वावलम्बन के साथ सशक्तिकरण हो रहा है एवं महिलाएँ समाज को नई दिशा दिखा रही हैं।

12. वर्तमान ज्ञान में योगदान :

इस शोध अध्ययन द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त होगा। नये तथ्यों को शामिल किया जायेगा और पूर्व की खोज को सत्यापित किया जाएगा, एवं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं जनजातीय महिलाओं के नेतृत्व क्षमता के ज्ञान को समृद्ध करेगा।

13. भविष्य के कार्य :

यह बात सर्वमान्य है कि किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता है। जब भी किसी समस्या का समाधान सुझाते हैं तथा उसे क्रियान्वित करते हैं तो कालान्तर में उससे संबंधित नई समस्याएँ उभर कर सामने आ जाती है। प्रत्येक अनुसंधान समस्याओं का कारण एवं समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। अतः भविष्य में कोई अनुसंधानकर्ता इन पर शोध कर सकता है।

भविष्य में निम्नलिखित विषयों पर शोध किया जा सकता है–

- जनजातीय महिलाओं के सम्पूर्ण उत्थान हेतु अध्ययन करना।
- जनजातीय महिलाओं के राजनीति के क्षेत्र में बढ़ते भागीदारी के संदर्भ में योगदान।
- सतत विकास के विभिन्न आयामों का अध्ययन जनजातीय महिलाओं के विकास के संदर्भ में करना।

14. संदर्भ सूची

- बोसरप ई० (1970), वीमेसं रोल इन इकानॅामिक डेवलपमन्ट, जार्ज एलिन एण्ड अनविन प्रकाशन, लंदन।
- पाला, अकोला ओ (1977), वुमन एण्ड नेशनल डेवलपमन्ट, वेल्सली एडीटोरियल कमिटि, शिकागो।
- लेवीटास, आर० (1998) दा इन्कूलूशिव सोसायटी, मेकमिलन प्रकाशन, बेसिनगोस्टक।
- दुर्खिम, ई० (1993) द डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, फ्री प्रेस पब्लिकेशन, न्यूयॉर्क।
- शशी के जैन एवं एल. एम. डा. लवनिया (2007) भारत में जनजातीयों समाजशास्त्र रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर।
- हमेन्त (2009) झारखण्ड, सनास्थन प्रकाशन।
- सुलभ स्वच्छ भारत, (2018) समाचार पत्र।